6

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3155/तीन/2013 विरूद्व आदेश दिनांक 04–07–2013 – पारित – अनुविभागीय अधिकारी, राहतगढ़ जिला सागर –– अपील प्रकरण कमांक 24 अ 6/2012–13 एंव निगरानी प्रकरण कमांक 836/तीन–2014 विरूद्व आदेश दिनांक 27–1–14 – पारित – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ––अपील प्रकरण कमांक 147 अ 6/2013–14

(1) निगरानी प्रकरण कमांक 3155/तीन/2013 के पक्षकार

1– अता हुसैन पुत्र अमीर मुसलमान
2– बेगम मरियम पत्नि अता हुसैन
निवासी बार्ड नं. 13 राहतगढ़ जिला सागर ———आवेदकगण

विरूध्द

बेगम जमीला पत्नि शहीद खान
बार्ड नं. 12 राहतगढ़ जिला सागर ———अनावेदिका

(2) निगरानी प्रकरण कमांक 836/तीन/2014 के पक्षकार

1– बेगम जमीला पत्नि शहीद खान
बार्ड नं. 12 राहतगढ़ जिला सागर
2– बेगम जेतूनवी पत्नि कल्लू
3– बेगम मुबीना वी पत्नि अनवर
दोनों निवासी बार्ड नं. 11 राहतगढ़
4– बेगम नगीना वी पत्नि नवाव पुत्री हमीर (फोत)
वारिस
(अ) राजा पुत्र नवाव (ब) खर्शीद वी पुत्री नवाव
दोनों निवासी बार्ड नं. 11 राहतगढ़ जिला सागर ——आवेदकगण

विरूद्व

1– अता हुसैन निवासी बार्ड कमांक 12 राहतगढ़
2– किरदार हुसैन 3– राफे हुसैन पुत्रगण अमीर
दोनों निवासी बार्ड नंबर 12 राहतगढ़ जिला सागर --अनावेदकगण

कमश——2

निगरानी कमांक 3155/तीन/2013 में आवेदकगण के अभिभाषक अनुपस्थित
अनावेदक के अभिभाषक श्री के.एस.निगम
निगरानी क0 836/तीन/2014 में आवेदकगण के अभिभाषक श्री के.एस.निगम
अनावेदकगण के अभिभाषक श्री सुरेन्द्र पटैल

आदेश

(आज दिनांक 18 6 – 2014 को पारित)

निगरानी कमांक 3155/तीन/2013 अनुविभागीय अधिकारी, राहतगढ़ जिला सागर व्दारा प्रकरण कमांक 24 अ 6/12–13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4–7–2013 के विरूद्व तथा निगरानी कमांक 836/तीन/2014 अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 147 अ 6/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–1–14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं। दोनों निगरानी प्रकरणों के पक्षकार, विषयवस्तु एंव वादित भूमि समान होने से इस आदेश व्दारा निराकरण किया जा रहा है।

2/ निगरानी कमांक 3155/तीन/2013 का सारॉश यह है मौजा मढ़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 8 कुल रकबा 20.89 एकड़ पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 36 पर आदेश दिनांक 07–08–1975 से नामांत्रण किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदिका एंव अन्य 5 ने अनुविभागीय अधिकारी, राहतगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी, राहतगढ़ ने हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई कर अंतरिम आदेश दिनांक 04–07–2013 पारित किया एंव अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी कमांक 836/तीन/2014 का सारॉश यह है मौजा मढ़ा तहसील राहतगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 8 रकबा 20.89 एकड़ अर्थात 8.453 हैक्टर अमीर पुत्र छुटटन मुसलमान के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में अंकित थी। अमीर की मृत्यु उपरांत मौजा मढ़ा की सॅशोधित पंजी कमांक 36 पर आदेश दिनांक 7–8–1975 से अनावेदकगण का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्व निगरानी प्रकरण कमांक 836/तीन/2014 के आवेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ के समक्ष दिनांक 5–4–13 को प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसमें पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04–07–2013 से अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया गया तथा हितबद्व पक्षों की सुनवाई उपरांत अंतिम आदेश दिनांक 19–12–2013 पारित कर अपील स्वीकार की गई तथा मौजा मढ़ा की सॅशोधित पंजी कमांक 36 पर आदेश दिनांक 7–8–1975 से किया नामान्तरण निरस्त किया गया। इस आदेश से परिवेदित होकर निगरानी कमांक 836/तीन/2014 के अनावेदको ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण कमांक 147 अ 6/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–1–14 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 19–12–13 निरस्त किया एंव अपील स्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ दोनों निगरानी के तथ्यों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया एंव निगरानी कमांक 836/तीन/2014 के आवेदकों की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के तथ्यों पर विचार किया गया। अनावेदकगण के अभिभाषक ने भी लेखी बहस प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा, उन्हें दिनांक 13–6–14 तक ग्वालियर मुख्यालय पर लेखी बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, किन्तु समय–रहते उन्होंने लेखी बहस प्रस्तुत नहीं की है, अपितु अनावेदक क–2 किरदार हुसैन ने लेखी आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

4/ निगरानी मेमो के तथ्यों एंव लेखी बहस के तथ्यों पर विचार करने तथा अनुविभागीय अधिकारी, राहतगढ़ के प्रकरण कमांक 24 अ 6/12–13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4–7–2013 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने इस आदेश से अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया है जिसे अपर आयुक्त सागर संभाग सागर ने आदेश दिनांक 27–1–14 में कालगणना की विवेचना उपरांत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील को अवधिवाधित माना है। विचार योग्य बिन्दु है कि अनुविभागीय अधिकारी ने ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 36 पर आदेश दिनांक 07–08–1975 से किये गये नामांत्रण के विरूद्व दिनांक 5–4–13 को प्रस्तुत अपील में अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन को स्वीकार करने में त्रृटि की है ?

यह तथ्य निर्विवाद है कि नामान्तरण पंजी पर आदेश दिनांक 07–08–1975 से नामान्तरण किया गया है जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ के समक्ष प्रथम अपील 5–4–13 को अर्थात 38 वर्ष के अंतराल से प्रस्तुत हुई है, जिसके संलग्न अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन के तथ्यों में वर्णित है कि –

" अपीलार्थीगण – प्रतिअपीलार्थीगण के पास दिनांक 2–4–13 को अपनी हिस्सा भूमि लेने के उद्वेश्य से गई तब प्रतिअपीलार्थीगण व्दारा कहा गया कि भूमि पर तुम्हारा कुछ नहीं है , यह भूमि तो हमारी है जिससे अपीलार्थीगण को संदेह उत्पन्न हुआ, तब हलका पटवारी के पास जाकर जानकारी ली, हलका पटवारी व्दारा बताया गया कि उपरोक्त भूमि के फौती नामान्तरण पर तुम्हारे नाम दर्ज नहीं है। "

अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ प्रस्तुत अपील मेमो के अवलोकन पर पाया गया कि अपीलार्थी कमांक 1 लगायत 4 महिलायें हैं। मुसलमान जाति में प्रायः महिलायें पर्दानसीन रहती है यदि वाहर जॉय, तब भी वह (बुर्का) मुहूँ ढकी ओढनी पहनकर वाहर निकलती है। स्पष्ट है कि पर्दानसीन महिलायें जो अन्यत्र निकाह होकर चली गई, उन्हें नामान्तरण की जानकारी यथासमय नहीं हुई हो, क्योंकि राजस्व न्यायालय नामान्तरण कार्यवाही करते समय मृतक खातेदार के सभी वारिसान की जानकारी लेकर मृतक के सभी उत्तराधिकारियों के नामान्तरण

की कार्यवाही करते हैं अथवा प्रत्येक बैध वारिस को नामान्तरण करने के पूर्व व्यक्तिगत सूचना देते हैं किन्तु ग्राम की नामान्तरण पंजी वर्ष 1972 के सरल कमांक 36 पर की गई प्रविष्टि दिनांक 11–5–1972 के तीन वर्ष से अधिक समय वाद दिनांक 8–8–75 को किये गये नागान्तरण आदेश के अवलोकन से परिलक्षित है कि हलका पटवारी ने मृतक के स्थान पर केवल अता हुसैन , किरदार हुसैन , राफे हुसैन को उत्तराधिकारी होना अंकित करते हुये नामान्तरण का प्रस्ताव भरा है एंव मृतक खातेदार अमीर की चारों पुत्रियों को पक्षकार अथवा उत्तराधिकारी अंकित नहीं किया है नामान्तरण की जानकारी मृतक की पर्दानसीन पुत्रियों को यथासमय न होने संबंधी तथ्य पर इन्हीं कारणों से अविश्वास की गुंजायश नहीं है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 44 – संपत्ति में हितनिहित पक्षकार को सुने बिना दिया गया आदेश – ऐसा आदेश उस पर बाध्यकर नहीं है। बिना सुने दिया गया आदेश प्रारंभ से ही अवैध है। (रामसिंह विरूद्व स्टेट आफ म0प्र0 1988 रा0 नि0 187 (हा0को0 पैरा 8 एंव 9) से अनुसरित
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 44 एंव 47 – नामान्तरण कार्यवाही में हितधारी व्यक्ति को सूचना नहीं दी गई , उसे अपील करने का हक है तथा आदेश की जानकारी के दिनांक से म्याद की गणना होगी।
3. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)–धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 - पर्याप्त कारण होने से न्यायालय बैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है– उद्घोषणा तथा समन विधि के अनुसरण में नहीं होने पर विलम्ब माफ किया जायेगा।
4. परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 एंव भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) –धारा 47 – सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एंव पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार–रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।
5. भू राजस्व संहिता,1959 (म.प्र.) धारा 47 गरीब, निरक्षर एंव पर्दानसीन महिला – विलम्ब क्षमा हेतु सदभावना –पूर्वक उदाररूख अपनाना चाहिये ।
   (लज्जाराम शर्मा विरूद्व म0प्र0राज्य, 1991 रा0नि0 127(उच्च न्यायालय) एंव श्रीमती धापूवाई विरूद्व यूनियन आफ इंडिया (2002)I MPWN 60 से अविलम्बित

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने **W.P.No. 7313/2002** जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू एंव अन्य एंव **W.P.No. 27452/2003** में पारित आदेश दिनांक 08–01–2013 के पद 8 में निर्णीत किया है कि –

" Accordingly in the facts and circumstances of the case, I am of the considered view that the Board of Revenue has committed a grave error in interfering with the matter only on the ground of delay. It was a case where by use of fraudulent means Government Land was being usurped by the private persons in an illegal manner and when the fraud came to the notice of the competent authority, action was taken within a reasonable time. In doing so, the authorities have not committed any error and the Board Of Revenue instead of evaluating the matter on merits has committed grave error only interfering on the ground of delay. Accordingly, finding the order passed by the Board of Revenue to be unsustainable both the petitions are allowed, Order passed by Board of Revene are quased. Delay in initiating the suo motu revision is found to be properly explained and it is held that the powers of suo motu revision has been exercised in accordance to law and therefore , the matter should be dealt with on merits.

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने 40 वर्ष विलम्ब से कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा दायर की गई स्वमेव निगरानी को उचित ठहराया है अर्थात नियम विरूद्व एंव पक्षपात पूर्ण कार्यवाही के विरूद्व जानकारी के दिन से प्रस्तुत अपील का विलम्ब न्यायदान हेतु क्षमा किया जा सकता है किंतु अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत अपील के तथ्यों एंव अवधि विधान की धारा–5 के तथ्यों के विपरीत जाकर निष्कर्ष निकाले है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दि. 27.01.2014 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ दोनों निगरानी मेमो के तथ्यों पर तथा लेखी बहस पर एंव अनावेदक क–2 किरदार हुसैन के लेखी आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अवलोकन से तथा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 27–1–14 एंव अनुविभागीय अधिकारी

के आदेश दिनांक 19—12—13 में उल्लेखित विवरण का अवलोकन किया गया। अनावेदक क—2 किरदार हुसैन के लेखी आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में इस प्रकार अंकन है —

" 1— यह कि जमीला बी, जेतून वी, मुबीना वी, नगीना वी मेरी बहिनें हैं तथा नगीना फोत हो चुकी है, उसके वारिस राजा एंव खुर्शीद है।
2— यह कि हमारे पिता अमीर के फोत हो जाने के वाद उनकी संपत्ति पर हम सभी वारिसानों का अधिकार है।

स्पष्ट है कि अनावेदक क—2 भी मृतक अमीर व्दारा छोड़ी गई भूमि में मृतक की चारों पुत्रियों का समान हिस्सा होना स्वीकार कर रहा है, जबकि हलका पटवारी ने मृतक के स्थान पर केवल अता हुसैन , किरदार हुसैन , राफे हुसैन के नामान्तरण का प्रस्ताव भरा है एंव मृतक खातेदार अमीर की चारों पुत्रियों को नामान्तरण पंजी में उत्तराधिकारी होते हुये भी न तो पक्षकार अंकित किया है और न ही व्यक्तिगत सूचना दी है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ ने ग्राम की नामान्तरण पंजी वर्ष 1972 के सरल सरल कमांक 36 पर की गई प्रविष्टि दिनांक 11—5—1972 के तीन वर्ष से अधिक समय उपरांत आदेश दिनांक 8—8—75 से किये गये नामान्तरण को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर का आदेश दिनांक 27.01.2014 निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ प्रकरण के परीक्षण पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ ने आदेश दिनांक 19—12—2013 में इस प्रकार निर्णय लिया है :—

" अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर ग्राम मढ़ा पटवारी हलका नंबर 26 तहसील राहतगढ़ की नामान्तरण पंजी कमांक 36 वर्ष 1974—75 में पारित आदेश दिनांक 07—08—1975 निरस्त किया जाता है। उभय पक्ष विधिक वारिसों को विधिवत् पक्षकार बनाकर सक्षम न्यायालय में नामान्तरण कराने के लिये स्वतंत्र है। "

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने उक्तादेश से मृतक अमीर व्दारा छोड़ी गई मौजा मढ़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 8 रकबा 20.89 एकड़ अर्थात 8.453 हैक्टर को पुनः 07—08—75 के पूर्व की स्थिति में पहुंचाया है और तहसील न्यायालय में

नामांत्रण की कार्यवाही के दौरान उभय पक्ष को अपना अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 19—12—2013 विधिवत् होना पाया गया है, किन्तु अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 27.01.2014 पारित करते समय इन तथ्यों को अनदेखा किया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी कमांक 836/तीन—2014 स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 147/अ—6/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 27—01—2014 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी, राहतगढ़ जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 24 अ 6/2012—13 अपील में पारित आदेश दिनांक 04—07—2013 एंव आदेश दिनांक 19.12.2013 स्थिर रहते हैं तथा निगरानी कमांक 3155/तीन—2013 सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर